

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(श्री नरेश बुनकर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

(GCMS No. - 2023/80)

प्रकरण संख्या :- 06/2023 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांक :- 06.07.2023

निर्णय दिनांक :- 18.10.2023

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री हरिसिंह पिता अमरसिंह राजपुत उम्र 27 वर्ष निवासी संदुको का गुढा, थाना केलवाडा  
जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 उपस्थित :-

1- सहायक लोक अभियोजक

--:: निर्णय ::--

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)असा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना रेलमगरा में दर्ज हुई है :-

क्र.सं.	प्र०सा०	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	146/2020	19/54 एक्साईज एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 104/2020 दिनांक 25.08.2020	सजा 06.06.2022
2	05/2021	19/54 एक्साईज एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 41/2021 दिनांक 10.02.2021	सजा 25.11.2022

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल उपस्थित। गैर सायल द्वारा 5,000/- रुपये के जमानत मुचलके पेश किया गये, गैर सायल के द्वारा बहस की गई ।


गैर सायल द्वारा निवेदन किया गया कि गलत रूपेण कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है, गैर सायल के विरुद्ध जिन प्रकरणों का नोटिस जारी किया गया है, वे दोनों प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर लेने से सजा हुई है। गैर सायल अब भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, गैर सायल के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाना न्यायहित में आवश्यक है। गैर सायल द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो और गैर सायल न ही आदतन अपराधी है, गैरसायल के विरुद्ध चलाई जा रहीं उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 को ड्रॉप फरमाई जावें।

सहायक लोक अभियोजक ने अपने तर्क में स्पष्ट किया कि गैर सायल के विरुद्ध 19/54 आबकारी अधिनियम के दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सक्षम न्यायालय ने विहित विधि में प्रावधानिक दण्ड से दण्डित कर सजा की है। इस लिए गैरसायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः गैर सायल को जिला बदर किया जाना सार्वजनिक हित में रहेगा।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। 19/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है। विपक्षी को 02 प्रकरणों में 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है। अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है, पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है, गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किये है, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके। गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत लगे आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हरिसिंह पिता अमरसिंह राजपुत उम्र 27 वर्ष निवासी संदुको का गुढा, थाना केलवाडा, जिला राजसमंद के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें सात दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के सात दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक दिवस को पुलिस थाना सायरा जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस थाना सायरा, जिला उदयपुर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा। गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक महो० राजसमन्द, उदयपुर एवं संबंधित थानाधिकारियों को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(नरेश कुमार)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

न्यायालय अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

क्रमांक:प०कोर्ट / गुण्डाएक्ट / ०६ / २०२३

दिनांक - 18.10.2023

प्रेषित:-

- 1- थानाधिकारी  
पुलिस थाना, मावली  
जिला उदयपुर
- 2- थानाधिकारी  
पुलिस थाना, केलवाडा  
जिला राजसमन्द


विषय:- प्रकरण संख्या ०६/२०२३ धारा ३(३) राज० गुण्डा एक्ट में न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2023 के अनुसार कार्यवाही करने बाबत ।

अनवान

राज्य सरकार जरिये जिला -:- बनाम :- श्री हरिसिंह पिता अमरसिंह  
पुलिस अधीक्षक, राजपुत उम्र २७ वर्ष निवासी  
राजसमन्द संदुको का गुढा, थाना  
केलवाडा जिला राजसमन्द

उपरोक्त विषयान्तर्गत गैर सायल श्री हरिसिंह पिता अमरसिंह राजपुत उम्र २७ वर्ष निवासी संदुको का गुढा, थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के विरुद्ध ३(३) राज०गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 18.10.2023 की प्रमाणित प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- निर्णय की प्रति


  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

दिनांक - 18.10.2023

क्रमांक:प०कोर्ट / गुण्डाएक्ट / ०६ / २०२३

प्रतिलिपि:-

- 1- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर/राजसमन्द को भी ३(३) राज०गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- संलग्न :- निर्णय की प्रति

  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द